"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2014— श्रावण 16, शक 1936

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-09/2013/10-3/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (4) में, अंक एवं चिन्ह "100%" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "100% (95% रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा तथा 5% रिक्त पदों को शासन द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, कैरम, कबड्डी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरा जायेगा)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 03-09/2013/10-3/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-8-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 4th August 2014

NOTIFICATION

No. F 03-09/2013/10-3/Forest. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Class-III (Non-Clerical Cadre) Forest Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Column (4) of serial number 3 of Schedule-II, for the figure and symbol "100%", the words, figures and parenthesis "100% (95% vacant posts shall be filled through direct recruitment and 5% vacant posts shall be filled by excellent sports persons of Badminton, Table Tennis, Swimming, Weight Lifting, Athletics, Carrom, Kabaddi selected through the process, as may be prescribed by the State Government)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. MANDAL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.